बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः—राज्य में चिकित्सा प्रक्षेत्र के सभी विधाओं में इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति में बढ़ोत्तरी की स्वीकृति।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प सं0—987(1) दिनांक—30.09.2014 के आलोक में राज्य में चिकित्सा प्रक्षेत्र के सभी विधाओं के इन्टर्नस को निम्नरुपेण छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है—

(क) राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के इन्टर्न्स	— 12,000/— प्रतिमाह
(ख) पटना दन्त महाविद्यालय, पटना के इन्टर्न्स	— 12,000/— प्रतिमाह
(ग) आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथी के. इन्टर्न्स	— 12,000/— प्रतिमाह
(घ) फिजियोथेरेपी एवं अकुपेशनलथेरेपी के इन्टर्न्स	— 8,000/— प्रतिमाह

(2) उपरोक्त छात्रवृत्ति/इन्टर्नशीप का आर्थिक लाभ दिनांक—01.04.2014 से देय है तथा तीन वर्षों के बाद इसका पुनरीक्षण किया जाना था।

(3) सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा राज्य में चिकित्सा प्रक्षेत्र के सभी विधाओं में इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति (वृतिका) निम्नरुपेण बढ़ाने का निर्णय लिया गया है—

(क) राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के इन्टर्न्स	— 15,000/— प्रतिमाह
(ख) पटना दन्त महाविद्यालय, पटना के इन्टर्न्स	— 15,000/— प्रतिमाह
(ग) आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथी के इन्टर्न्स	— 15,000/— प्रतिमाह
(घ) फिजियोथेरेपी एवं अकुपेशनलथेरेपी के इन्टर्न्स	— 11,000/— प्रतिमाह

(4) बढ़ी हुई छात्रवृत्ति/इन्टर्नशीप का आर्थिक लाभ दिनांक—01.04.2017 से देय होगा तथा तीन वर्षों के बाद ही छात्रवृत्ति/इन्टर्नशीप का पुनरीक्षण विचारणीय होगा।

(5) उपरोक्त छात्रवृत्ति/इन्टर्नशीप के व्यय का वहन संबंधित संस्थान के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के विपत्र कोड के छात्रवृत्ति/वजीफा ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(6) प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक—18.08.2017 के मद संख्या—19 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25.8.17

(अनिल कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

क्रमशः

ज्ञापांकः–1/विविध–111/2009– 1017(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 28/8/2017

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 कॉपी के साथ बिहार राजपत्र (गजट) के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

25.8.17

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–111/2009– 1017(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 28/8/2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/प्राचार्य, पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना/प्राचार्य, सभी आयुर्वेदिक/यूनानी/तिब्बी/होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/विभागाध्यक्ष, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं अकुपेशनलथेरापी, विकलांग भवन, कंकड़बाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी–1, 16 एवं 17, स्वास्थ्य विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

25.8.17

सरकार के संयुक्त सचिव